

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12484-92 दिनांक : 08.03.19

परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
डूंगरपुर।

विषय : सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

विभागीय पत्रांक 11000-30 दिनांक 28.02.2019 द्वारा निम्नानुसार सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित कार्यों की पंचायत समिति डूंगरपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-7 में वर्णित राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

क्र.स.	सामुदायिक भवन निर्माण का नाम	ग्रा.पं.	पंस.	प्रशा.स्वी. अनुसार राशि	(राशि लाख रु. में)	
					तकनीकी स्वीकृति क्र/दि	राशि
1	पटेल बस्ती ग्राम पादरडी	घूघरा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1877/01.03.19	9.95
2	ग्राम घूघरा	ग्रा.पं. घूघरा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1899/01.03.19	9.95
3	खुमानपुरा ग्राम खुमानपुरा	भटवारा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1764/15.02.19	9.95
4	नाहवेर ग्राम गामडी देवल	गामडी देवल	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1881/01.03.19	9.89
5	पालदेवल ग्राम पाल देवल	पालदेवल	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1876/01.03.19	9.95
6	गमेती फला, ग्राम माडा	माडा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1772/15.02.19	9.89
7	पाल गामडी	पाल गामडी	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1885/01.03.19	9.95
8	कुऐडा महादेव मंदिर के पास, ग्राम खेमरु	गडामोरेया	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1762/15.02.19	9.95
9	ग्राम रामपुर बियोला	पिपलादा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1765/15.02.19	9.95
10	ददोडिया राजपूत बस्ती में ग्राम ददोडिया	खेरवाड़ा	डूंगरपुर	5.00	AEN/MNREGA /1763/15.02.19	9.95
			योग	50.00		99.38

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1)मद अन्तर्गत जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति पत्र क्रमांक F.NO.11015/04(20)/2018-Grants शास्त्री भवन नई दिल्ली दिनांक 26.12.2018 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 500.00 लाख में से होगा।

उपरोक्त कार्य पर परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा /डूंगरपुर के पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि में से प्रथम किश्त कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर पुर्नभरण कर दिया जायेगा।

शर्त :-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।

कृ.पू.उ.

2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। आर.सी.सी फ़ेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा).I.A.S  
आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/

दिनांक :

प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

★  
अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)